कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/मा–स/बालवाहिनीयोजना(16)/22478/2007–17/151 दिनांक : 09.5.2022

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा।

विषय :– विद्यालयों में विद्यार्थियों को वाहनों द्वारा लाने–लेजाने के संबंध में दिशा–निर्देशों की पालना करवाने बाबत।

प्रसंग :– परिवहन व सुरक्षा विभाग का पत्रांक : प.22(108)परि/प्रवर्तन/स.जा.अ./2020/3736 दिनांक : 25.02.2022

संदर्भ :– कार्यालय द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांकः शिविरा/माध्य/पीएसपी/ बालवाहिनी/निर्देश/2019–20 दिनांक : 06.03.2019 एवं समसंख्यक परिपत्र क्रमांक : शिविरा – माध्य/मा–स/सड़क सुरक्षा/22418/2015–19/273 दिनांक : 30.04.2019

Rajasthan Education Department

शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों को सुरक्षित व सुविधाजनक रूप से वाहनों द्वारा लाने–ले जाने के संबंध में परिवहन व सुरक्षा विभाग जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक 23/2017 दिनांक : 29.06.2017 के क्रम में उक्त विभाग के पत्रांक : प.22(108)परि/प्रवर्तन/स.जा.अ./2020/3736 दिनांक : 25.02.2022 के नवीन निर्देशानुसार पूर्व में जारी दिशा–निर्देश क्रमांक : शिविरा/माध्य/पीएसपी/ बालवाहिनी/ निर्देश/2019–20 दिनांक : 06.03.2019 एवं परिपत्र क्रमांक : शिविरा – माध्य/मा–स/सड़क सुरक्षा/ 22418/2015–19/273 दिनांक : 30.04.2019 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए पुनः निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा बाल वाहिनी के संबंध में नियमित मॉनिटरिंग की जावें।
2. बाल वाहिनियों के सभी वाहन चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जावे एवं क्षमता से अधिक बच्चों को नहीं बैठाया जावे। संस्था द्वारा चालक का परिचय पत्र भी जारी किया जाए जिसे चालक द्वारा ड्यूटी के समय अनिवार्यतः लगाया जावें।
3. प्रत्येक बाल वाहिनी के बाहर की ओर दोनों तरफ विद्यालय का नाम, बस चालक का नाम, केयर टेकर का नाम एवं मोबाईल नंबर एवं चाइल्ड हैल्प लाईन नंबर 1098 बस के अंदर अनिवार्यतः अंकित किया जाए।
4. विद्यालय क्षेत्र के थाना अधिकारी एवं बीट कॉस्टेबल के नाम व मोबाईल नंबर की जानकारी प्रत्येक विद्यालय द्वारा नोटस बोर्ड पर प्रदर्शित करें।
5. विद्यालय परिसर के भीतर वाहनों की पार्किंग स्थल सुनिश्चित करें।
6. बाल वाहिनी के वाहन चालक/कंडेक्टर के पास ड्राईविंग लाईसेंस आवश्यक रूप से हो।
7. बाल वाहिनी में चालक के साथ एक केयर टेकर की व्यवस्था करावें जो बच्चों को बाल वाहिनी में चढ़ाने, उतारने, सड़क पार करवाने आदि का कार्य करें।
8. बाल वाहिनी की खिड़कियों के दोनों तरफ कांच के साथ–साथ ग्रिल अनिवार्यतः लगी हो।
9. बाल वाहिनी में प्राथमिक उपचार पेटी एवं अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
10. प्रत्येक बाल वाहिनी में जीपीएस अनिवार्यतः लगाया जावे।
11. प्रत्येक बाल वाहिनी में स्पीड गवर्नर अनिवार्यतः लगाया जावें।

12. बाल वाहिनी के अलावा अन्य किसी निजी वाहन द्वारा बालकों को सामुहिक रूप से परिवहन के लिए अधिकृत नहीं किया जाए। ऐसा पाए जाने पर समस्त जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय की होगी।
13. यातायात पुलिस को विद्यालय के खुलने एवं छुट्टी होने के समय यातायात नियंत्रण हेतु उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान करें।
14. प्रत्येक विद्यालय का प्रबंधन बाल वाहिनियों के फिटनेस सर्टिफिकेट को अद्यतन करावे एवं वाहन चालक को निर्देशित करें कि वाहन की नियमित जाँच उपरान्त ही बच्चों को वाहन में बैठाएं।
15. समय–समय पर बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से यातायात नियमों से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया जाए व जागरूकता अभियान चलाया जाए।
16. विद्यालय स्तरीय प्रबंधन समिति एवं पांच अभिभावकों को शामिल करते हुए विद्यालय स्तरीय यातायात समिति का गठन किया जावे जो वाहन चालकों के प्रमाण पत्रों (बीमा, प्रदूषण जांच आदि) एवं बाल वाहिनी की सुरक्षा निर्देशों की पालना का नियमित निरीक्षण करें।
17. उक्त दस्तावेजों की जाँच प्रतिवर्ष अनिवार्यतः करवाई जाए एवं यदि वाहन अनुबंधित करना हो तो उक्त शर्तो को पूर्ण करने वाले वाहन ही अनुबंधित किए जावें।

इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ संचालित समस्त विद्यालयों से इस आशय का प्रमाण–पत्र लेवें कि विद्यालय द्वारा इस पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 01 से 17 तक के समस्त निर्देशों की पालना की जा रही है। विद्यालयों से प्राप्त प्रमाण–पत्रों के आधार पर आप 15 दिवस में यह प्रमाण–पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे कि उनके जिले में संचालित समस्त विद्यालयों द्वारा उक्त बिन्दुओं की पालना कर ली गई हैं।

(गौरव अग्रवाल)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. परिवहन आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, परिवहन भवन, जयपुर।
5. श्रीमान जिला कलक्टर, समस्त जिला।
6. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रभावी प्रबोधन एवं पर्यवेक्षण बाबत।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक / प्रारंभिक।
8. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. वरिष्ठ सम्पादक – शिविरा, प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर